भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 1346
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

साइबर गुलामी के शिकार नागरिकों का प्रत्यावर्तन

1346 **# श्री नीरज डांगी:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अब तक साइबर गुलामी का शिकार हुए भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं और ऐसे पीड़ितों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें देश वापस लाया गया है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में संबंधित देशों की सरकारों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने धोखाधड़ी करने वाली ऐसी एजेंसियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या निगरानी तंत्र स्थापित किया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ग) सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संदिग्ध फर्म, फर्जी भर्ती नौकरियों के प्रस्तावों में संलिप्त हैं और जो भारतीय नागरिकों को अधिकांशतः सोशल मीडिया के माध्यम से प्रलोभन देकर कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ले जाकर उनसे इन देशों में संचालित घोटाला केंद्रों से साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियाँ करवाती हैं। इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से धोखेबाज/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों और अवैध माध्यमों से इन घोटाला केंद्रों तक पहुँचते हैं।

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार ने समय-समय पर मेजबान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है। मिशन/केंद्र, स्थानीय विदेश मंत्रालय और मेजबान देश की अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे आव्रजन, श्रम विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा और सीमा मामलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नागरिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाते हैं। कंबोडिया, लाओ पीडीआर और म्यांमार स्थित हमारे दूतावासों के समन्वित प्रयासों से, अब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों सहित बचाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

देश	**बचाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या**
कंबोडिया	2,265
लाओ पीडीआर	2,290
म्यांमार	2,165

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित मिशन/केंद्र से संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न माध्यम स्थापित किए हैं। वे मुलाकात, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, व्हाट्सएप नंबरों, मदद, सीपीजीआरएएमएस और ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टलों और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।

मंत्रालय समय-समय पर फर्जी नौकरी रैकेट के बारे में सलाह और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करता है। विदेशों में स्थित संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र भी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसी तरह की सूचनाएं जारी करते हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हमारे मिशनों ने, दक्षिण-पूर्व देशों में फर्जी नौकरी रैकेट द्वारा भारतीय नागरिकों को लुभाए जाने की सूचना मिलने पर, नौकरी चाहने वालों को कई विस्तृत सलाह जारी की हैं और उन्हें सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार के रोजगार प्रस्ताव को

स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के सभी पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लें और इन देशों में फर्जी नौकरी प्रस्तावों के बहकावे में न आएं।

मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों और भारत में प्रवासी संरक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय करके, अवैध एजेंटों द्वारा नौकरी चाहने वालों के शोषण के मामले सामने आने पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है। ई-माइग्रेट पोर्टल पर 3,505 अपंजीकृत एजेंटों (अक्टूबर 2025 तक) की सूची अधिसूचित की गई है। यह जानकारी पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और विदेश स्थित हमारे मिशनों/केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। विभिन्न माध्यमों से भारतीय युवाओं को झूठे भर्ती प्रस्तावका प्रलोभन देने वाले अवैध एजेंटों और संदिग्ध फर्मों के विरुद्ध शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों और आई4सी , गृह मंत्रालय जैसी अन्य एजेंसियों के साथ उचित कार्रवाईकरने के लिए नियमित रूप से साझा किया जाता है। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट, रेडियो अभियान के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी का प्रसार, कई चैनलों में प्रचार के लिए माईजीओवी को शामिल करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन, डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर समाचार पत्र विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी पर दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं, और साइबर अपराधों के अन्य तौर-तरीके शामिल हैं।

*****